

सं० ५५९ / अ० ७८ } २०१७  
३१-५-१७

फैक्स/तत्काल

संख्या-१०३३ / आठ-१-१७-१७विविध/२०१७

प्रेषक,

शिवजनम चौधरी,  
विशेष सचिव,  
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

1. आयुक्त,  
उ०प्र०आवास एवं विकास परिषद,  
लखनऊ।
2. निदेशक,  
नगर भूमि सीमारोपण, लखनऊ
3. उपाध्यक्ष,  
समस्त विकास प्राधिकरण लखनऊ
4. अध्यक्ष/सचिव,  
समस्त विशेष क्षेत्र प्राधिकरण, उ०प्र०
5. निदेशक,  
आवास बन्धु, उ०प्र०, लखनऊ
6. प्रबंध निदेशक,  
उ०प्र० सहकारी आवास निर्माण एवं वित्त निगम लिंग, ६-सरोजनी नायडू मार्ग,  
लखनऊ
7. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक,  
नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग,  
उ०प्र०, लखनऊ

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-१

लखनऊ: दिनांक-३१ मई, २०१७

विषय:- ई-प्रोक्योरमेण्ट/ई-टेण्डरिंग प्रणाली लागू किये जाने के संबंध में।

महोदय,

शासकीय विभागों में ई-प्रोक्योरमेण्ट/ई-टेण्डरिंग प्रणाली लागू किये जाने विषयक आई०टी० एवं इलेक्ट्रानिक्स अनुभाग-२ के शासनादेश संख्या-१०६७/७८-२-२०१७-४२आई०टी०/२०१७, दिनांक १२ मई, २०१७ का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से पारदर्शी और स्वच्छ प्रशासन तथा शासकीय विभागों में निर्माण कार्यों, सेवाओं/जाब-वर्क एवं सामग्री के क्य में प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित कराये जाने हेतु सभी शासकीय विभागों/सार्वजनिक उपकरणों/विकास प्राधिकरणों/नगर निगमों/स्वायत्तशासी संस्थाओं/निकायों इत्यादि में एन०आई०सी० के ई-प्रोक्योरमेण्ट/ई-टेण्डरिंग प्लेटफार्म <http://etender.up.nic.in> का प्रयोग करते हुए सभी निर्माण कार्यों, सेवाओं/जाब-वर्क एवं सामग्री के क्य, चालू अनुबन्ध (Running Contract) एवं दर अनुबन्ध (Rate Contract) हेतु ई-प्रोक्योरमेण्ट/ई-टेण्डरिंग प्रणाली लागू किये जाने के संबंध में दिशा-निर्देश निर्गत किये गये हैं।

२- अतः मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासकीय विभागों में ई-प्रोक्योरमेण्ट/ई-टेण्डरिंग प्रणाली लागू किये जाने विषयक आई०टी० एवं इलेक्ट्रानिक्स अनुभाग-२ के शासनादेश संख्या-१०६७/७८-२-२०१७-४२आई०टी०/२०१७, दिनांक १२ मई, २०१७ के अनुसार सभी निर्माण कार्यों, सेवाओं/जाब-वर्क एवं सामग्री के क्य, चालू अनुबन्ध (Running Contract) एवं दर अनुबन्ध (Rate Contract) हेतु ई-प्रोक्योरमेण्ट/ई-टेण्डरिंग प्रणाली लागू किये के संबंध में कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

३- उपरोक्तानुसार सभी उपाध्यक्ष, विकास प्राधिकरण, आवास आयुक्त, उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद एवं विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण एवं अन्य सभी कार्यालयाध्यक्ष ई-प्रोक्योरमेण्ट/ई-टेण्डरिंग व्यवस्था लागू किये जाने के संबंध में प्रमाण-पत्र निदेशक, आवास बन्धु, उ०प्र० को उपलब्ध करायेंगे।

भवदीय,

(शिवजनम चौधरी)  
विशेष सचिव।

संख्या-१०३३(१) / आठ-१-१७, दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निदेशक, आवास बन्धु को इस आशय से प्रेषित कि उक्त निर्देशों को सभी संबंधित को अवगत कराते हुए कृत कार्यवाही की सूचना संकलित कर दिनांक १० जून, २०१७ तक शासन को अवगत करायें।

आज्ञा से,

(शिवजनम चौधरी)  
विशेष सचिव।

प्रेषक,

राहुल भटनागर  
मुख्य सचिव  
उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में,

- 1- समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
- 2- समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
- 3- समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
- 4- प्रदेश के समस्त सार्वजनिक उपकर्मों के अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक, निकार्यों, परिषदों एवं स्वायत्तशासी निकार्यों के मुख्य कार्यकारी आधिकारी।

आईटी० एवं इलेक्ट्रानिक्स अनुभाग-२

लखनऊ: दिनांक १२ मई २०१७

विषय- शासकीय विभागों में ई-प्रोक्योरमेण्ट/ई-टेंडरिंग प्रणाली लागू किया जाना।

महोदय/ महोदया,

नेशनल ई-गवर्नेंस प्लान के सम्बन्ध में चिन्हित विभिन्न मिशन मोड परियोजनाओं में ई-प्रोक्योरमेण्ट/ई-टेंडरिंग प्रणाली एक महत्वपूर्ण परियोजना है। उत्तर प्रदेश में पायलट परियोजना के रूप में लोक निर्माण विभाग, सिंचाई विभाग, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, सन्तान प्रोद्योगिकी एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग, मुद्रण एवं लेखन विभाग, उद्योग निदेशालय, विश्व बैंक पोषित/वाहय सहायतित सभी परियोजनाओं में पायलट परियोजना के रूप में ई-टेंडरिंग प्रणाली लागू की गई थी। कतिपय अन्य विभागों में भी ई-टेंडरिंग प्रणाली का उपयोग किया जा रहा है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है, कि पारदर्शी और स्वच्छ प्रशासन लक्ष्य शासकीय विभागों में निर्माण कार्यों, सेवाओं/जॉब-वर्क एवं सामग्री के क्रय में स्पृतिस्पृथि सुनिश्चित कराये जाने हेतु उत्तर प्रदेश के सभी शासकीय विभागों/सार्वजनिक उपकर्मों/विकास प्राधिकरणों/नगर निगमों/स्वायत्तशासी संस्थाओं/निकार्यों इत्यादि में एन.आई.सी. के ई-प्रोक्योरमेण्ट/ई-टेंडरिंग प्लेटफार्म <http://etender.up.nic.in> का प्रयोग करते हुए सभी निर्माण कार्यों, सेवाओं/ जॉब-वर्क एवं सामग्री के क्रय, चालू अनुबंध (Running contract) एवं दर अनुबंध (Rate contract) हेतु ई-प्रोक्योरमेण्ट/ई-टेंडरिंग प्रणाली लागू किये जाने का निर्णय लिया गया है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिक्स जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

3- प्रदेश में ई-प्रोक्योरमेण्ट/ई-टेंडरिंग प्रणाली लागू करने हेतु यूपी इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लिमिटेड (यूपीएलसी) नोडल एजेन्सी होगी तथा ई-टेंडरिंग करने वाले विभागों/उपक्रमों इत्यादि को एन.आई.सी., लखनऊ तथा यूपीएलसी द्वारा आवश्यकतानुसार हैण्डहोल्डिंग सहायता प्रदान की जायेगी। ई-टेंडरिंग प्रणाली के क्रियान्वयन हेतु आवश्यक हार्डवेयर उपकरण इत्यादि एन.आई.सी. को यूपी इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा उपलब्ध कराये गये हैं, तथा भविष्य में भी आवश्यकतानुसार अन्य हार्डवेयर उपकरण यूपी इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा उपलब्ध कराये जायेंगे।

4- ई-प्रोक्योरमेण्ट/ई-टेंडरिंग प्रणाली में नियमों एवं प्रक्रियाओं में कोई "परिवर्तन" नहीं किया जा रहा है, अपितु वर्तमान नियमों एवं प्रक्रियाओं के अन्तर्गत ही केवल इलेक्ट्रानिक प्रणाली का उपयोग करते हुए टेंडरिंग की कार्यवाही की "जाईंगी"। उत्तर प्रदेश प्रोक्योरमेण्ट मैनुअल (प्रोक्योरमेन्ट आफ गुड्स) एवं तत्सम्बन्धी, अन्य नियम उक्त श्रेणियों की ई-टेंडरिंग में यथावत् लागू रहेंगे एवं इनमें "प्रतिनिधित्व" पेर प्रांजेक्शन के स्थान पर "मंत्र इलेक्ट्रानिक माध्यम का प्रयोग करते" हुए निविदा प्रक्रिया, ई-प्रोक्योरमेण्ट/ई-टेंडरिंग प्रणाली द्वारा निम्नवत् सम्पादित की जायेगी:-

- जिन निर्माण कार्यों, सेवाओं/ जॉब-वैक्स (एवं) सामग्री के क्रय, चालू अनुबंध (Running contract) एवं दर अनुबंध (Rate contract) हेतु निविदा प्रक्रिया मैनुअल विधि से सम्पादित की जाती है, उन निविदाओं को ई-प्रोक्योरमेण्ट/ई-टेंडरिंग प्रणाली के माध्यम से कराया जाना प्रत्येक विभाग के लिए अनिवार्य होगा।
- ई-प्रोक्योरमेण्ट/ई-टेंडरिंग प्रणाली के अन्तर्गत विभिन्न कार्यवाही यथा- ई-रजिस्ट्रेशन, कॉर्डिंग, टेंडर क्रियेशन, टेंडर प्रकाशन, टेंडर परचेज, सबमिशन, बिड औपनिवेशित आदि समस्त कार्य इलेक्ट्रानिक माध्यम से किये जायेंगे।
- सर्वाधिक प्रतिस्पर्धात्मक दरें प्राप्त करने के लिए अलग-अलग ई-प्रोक्योरमेण्ट प्लेटफॉर्म का प्रयोग करने के स्थान पर सभी विभागों द्वारा एन.आई.सी. द्वारा विकसित ई-प्रोक्योरमेण्ट प्लेटफॉर्म <http://etender.up.nic.in> पर ई-प्रोक्योरमेण्ट किया जायेगा।
- ई-प्रोक्योरमेण्ट के बिड्स एवं डाटा की गोपनीयता, सुरक्षा तथा अनुरक्षण का दायित्व एन.आई.सी. का होगा।

5- टेंडर करने वाले विभागीय अधिकारियों, टेंडर समिति के सदस्यों, निविदादाताओं (बिडर्स), आपूर्तिकर्ताओं (वेण्डर्स), कान्ट्रैक्टर्स को ई-प्रोक्योरमेण्ट/ई-टेंडरिंग प्रणाली सम्बन्धी आवश्यक प्रशिक्षण यूपी इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा निःशुल्क प्रदान किया जायेगा। यूपीएलसी द्वारा बिडर्स/ कान्ट्रैक्टर्स/वेण्डर्स को उनके कम्प्यूटर/लैपटॉप पर ई-टेंडर सम्बन्धित सॉफ्टवेयर अपलोड कराकर ई-टेंडर

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

हेतु तैयार किया जाना, टेण्डर डाउनलोड, टेण्डर सबमिशन, मॉक ई-टेण्डर सबमिशन द्वारा ई-टेण्डर प्रणाली पर कार्य करना इत्यादि के प्रयोग का निःशुल्क प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा। साथ ही विभागीय अधिकारियों को ई-टेण्डरिंग प्रक्रिया हेतु तत्सम्बन्धित सॉफ्टवेयर, ई-टेण्डर का विकास, बीओक्यू (बिल ऑफ क्वान्टिटी) तैयार किया जाना, टेण्डर अपलोडिंग, टेण्डर ओपनिंग, टेण्डर ईवैल्यूवेशन इत्यादि का निःशुल्क प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जायेगा।

6- ई-प्रोक्योरमेण्ट/ई-टेण्डरिंग प्रणाली का उपयोग करते हुए टेण्डर करने वाले विभाग द्वारा सॉफ्टवेयर कस्टमाइजेशन शुल्क, निविदा शुल्क एवं वेण्डर/कान्ट्रैक्टर द्वारा देय पंजीकरण शुल्क निम्न प्रकार देय होगा:-

- प्रत्येक विभाग द्वारा केवल एक बार ₹ 5000.00 + अनुमन्य सर्विस टैक्स, कस्टमाइजेशन शुल्क के रूप में नोडल संस्था- यूपी इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लिमिटेड (यूपीएलसी) को देय होगा।
- निविदा शुल्क के रूप में विभाग द्वारा प्रत्येक टेण्डर हेतु टेण्डर आदेश मूल्य का 0.01 प्रतिशत - न्यूनतम ₹ 250.00 तथा अधिकतम ₹ 5000.00 (सर्विस टैक्स सहित) यूपी इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लिमिटेड (यूपीएलसी) को देय होगा।
- इस प्रणाली के अन्तर्गत बिडस/कॉन्ट्रैक्टर्स/वेण्डर्स द्वारा प्रथम बार ₹ 6000.00 (सर्विस टैक्स सहित) यूपी इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लिमिटेड को देकर, प्रथमतः उपलब्ध डिजिटल सिग्नेचर्स के साथ कम्पनी/फर्म का रजिस्ट्रेशन करना होगा, जिसके आधार पर वे दो वर्ष तक बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के अपेक्षित अनुमन्यता के आधार पर सभी टेण्डर में भाग ले सकेंगे। रजिस्ट्रेशन का नवीनीकरण हेतु शुल्क मात्र ₹ 3000.00 (देय कर अतिरिक्त) प्रति दो वर्ष हेतु मान्य होगा।
- ई-प्रोक्योरमेण्ट/ई-टेण्डरिंग प्रणाली में प्रतिभाग करने वाले बिडस/ कान्ट्रैक्टर्स/ वेण्डर्स तथा विभागीय अधिकारियों एवं टेण्डर समिति के सदस्यों को ₹ 1708.00 (समस्त करों सहित) प्रति व्यक्ति की दर से शुल्क जमाकर डिजिटल सिग्नेचर प्राप्त करने होंगे। डिजिटल सिग्नेचर दो वर्ष के लिए वैध होंगे। ई-प्रोक्योरमेण्ट/ई-टेण्डरिंग हेतु आवश्यक डिजिटल सिग्नेचर विभागीय अधिकारियों/निविदादाताओं द्वारा कन्ट्रोलर ऑफ सर्टिफाईंग अथॉरिटीज, भारत सरकार द्वारा अधिकृत एन.आई.सी- नई दिल्ली, टीसीएस-मुम्बई, सेफ-स्क्रिप्ट-चेन्नई, आई.डी.आर.बी.टी., (एन) कोड सॉल्यूशन्स, ई-मुद्रा, सी-डैक, कैप्रीकॉर्न आईडेन्टिटी सर्विसेज प्रा.लि., एन.एस.डी.एल. टेक्नोलोजी, जी.एन.एफ.सी. आदि सर्टिफाईंग अथॉरिटीज अथवा उनके रजिस्टरिंग अथॉरिटीज में से किसी एक से निर्धारित शुल्क जमा करके प्राप्त किये जा सकते हैं।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

7- उक्त कार्यों हेतु यूपी इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लिमिटेड (यूपीएलसी) को शासन से कोई अतिरिक्त वित्तीय सहायता देय नहीं होगी। यूपी इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लिमिटेड (यूपीएलसी) को मात्र उक्त कार्यों के सापेक्ष पंजीकरण शुल्क, कस्टमाइंजेशन शुल्क एवं निविदा शुल्क उक्त सुविधाओं के एवज में उपलब्ध होगी।

8- प्रत्येक विभाग द्वारा ई-प्रोक्योरमेण्ट/ई-टेंडरिंग किये जाने हेतु विभाग में आवश्यक कम्प्यूटर हार्डवेयर उपकरण की स्थापना, न्यूनतम 512 केबीपीएस ब्रॉड बैण्ड कनेक्शन तथा वॉछनीय एण्टीवायरस सॉफ्टवेयर लोड कराना होगा। सम्बन्धित विभागों, उपक्रमों इत्यादि द्वारा ई-प्रोक्योरमेण्ट/ई-टेंडरिंग प्रणाली लागू करने हेतु आवश्यक हार्डवेयर, प्रशिक्षण, सॉफ्टवेयर कस्टमाइजेशन, डिजिटल सिग्नेचर इत्यादि आवश्यक व्यवस्थायें तीन माह में पूर्ण करा ली जायें। निविदा शुल्क (Tender fees) के भुगतान तथा धरोहर राशि (Earnest Money) के भुगतान एवं वापसी की प्रक्रिया भी भौतिक रूप (Physical Form) में न करके ऑनलाइन व्यवस्था है। सुनिश्चित की जाये।


9- सम्बन्धित विभाग के अपर मुख्य सचिव/प्रभुख/सचिव/सचिव स्तर पर नियमित रूप से बैठकें आयोजित करके ई-प्रोक्योरमेण्ट/ई-टेंडरिंग प्रणाली के कार्यान्वयन की नियमित समीक्षा सुनिश्चित की जायें।

10- यदि विभाग द्वारा ई-प्रोक्योरमेण्ट/ई-टेंडरिंग प्रणाली लागू करने में कठिनाई अनुभव की जाती है तो सम्बन्धित विभाग द्वारा इस प्रणाली को लागू करने से छूट प्राप्त करने के लिए आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग के माध्यम से उच्चादेश प्राप्त करने होंगे।

11- जिन विभागों/सार्वजनिक/उपक्रमों/निकायों/स्वायत्तशासी निकायों तथा संस्थाओं द्वारा अपनी विशिष्टता की व्यवस्थाएँ आकस्मिकता/तात्कालिक प्राथमिकता के दृष्टिगत जनहित में पूर्व में टैग्डर संबंधित निर्देश/शासनादेश निर्गत किये गये हैं, उन सभी पर, उस सीमा तक, इस ई-टेंडर संबंधित शासनादेश का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

12- प्रदेश में एक लाख से कम आबादी वाले नगरीय निकायों तथा समस्त ग्राम पंचायतों में ई-टेंडरिंग संबंधी आवश्यक अवस्थापना/आधारभूत सुविधायें मानव संसाधन, संकरीकृति ज्ञान इत्यादि की व्यवस्था होने के उपरान्त ही, ई-टेंडर संबंधी शासनादेश को प्रभावी करने हेतु प्रशासकीय विभाग के स्तर से तदनुसार निर्देश निर्गत किये जायेंगे।

उक्त शासनादेश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायें।

भवदीय,  
  
(राहुल भटनागर)  
मुख्य सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

संख्या-1067(1)/78-2-2017 तदिनांक

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
- 2- अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
- 3- प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
- 4- निदेशक उद्योग, कानपुर, उत्तर प्रदेश।
- 5- निजी सचिव, मा. उप मुख्यमंत्री एवं विभागीय मंत्री जी, आईटी एवं झले<sup>0</sup> विभाग, ३०प्र०।
- 6- निजी सचिव, मा. राज्यमंत्री जी, आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग, ३०प्र०।
- 7- निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश।
- 8- निजी सचिव, प्रमुख सचिव, मा. मुख्यमंत्री जी, ३०प्र०।
- 9- निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स, उत्तर प्रदेश शासन।
- 10- निजी सचिव, विशेष सचिव, आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स, उत्तर प्रदेश शासन।
- 11- राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, एन.आई.सी., उत्तर प्रदेश एकक, लखनऊ।
- 12- राज्य समन्वयक, सेन्टर फॉर ई-गवर्नेंस, यूपीडीसी, लखनऊ।
- 13- प्रबन्ध निदेशक, यूपी इलेक्ट्रानिक्स कार्यपालिका लिमिटेड, लखनऊ।
- 14- महालेखाकार, लेखा परीक्षा-प्रथम एवं द्वितीय कार्यालय, इलाहाबाद।
- 15- निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, लखनऊ।
- 16- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(संजीव सरन)

अपर मुख्य सचिव

- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
- 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

## ई-टेण्डरिंग प्रणाली लागू किये जाने हेतु विभागों/कार्यालयों के स्तर पर अपेक्षित कार्यकलाप

- सम्बन्धित विभागों, उपकरणों इत्यादि को, ई-टेण्डरिंग प्रणाली लागू करने हेतु तैयारी के लिए तीन माह का समय है तथा इस प्रयोजन हेतु आवश्यक हार्डवेयर, प्रशिक्षण, सॉफ्टवेयर कस्टमाइजेशन, डिजिटल सिग्नेचर इत्यादि आवश्यक व्यवस्थायें इस अवधि में पूर्ण करा ली जायें।
- तीन माह के पश्चात्, सभी शासकीय विभागों/सार्वजनिक उपकरणों/ विकास प्राधिकरणों/ नगर निगमों/स्वायत्तशासी संस्थाओं/निकायों इत्यादि द्वारा रामी निर्माण कार्यों, सेवाओं/ जॉब-वर्क एवं सामग्री के कार्य तथा चालू दर एवं दर अनुबन्ध (रिट कॉन्फ्रैक्ट) हेतु ई-टेण्डरिंग प्रणाली अपनाया जाना अनिवार्य होगा।
- ई-प्रोक्योरमेण्ट/ ई-टेण्डरिंग प्रणाली लागू करने हेतु यूपी इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लिमिटेड (यूपीएलसी) को नोडल एजेन्सी नामित किया गया है।
- ई-प्रोक्योरमेण्ट/ ई-टेण्डरिंग प्रणाली लागू किये जाने हेतु सम्बन्धित विभाग/ कार्यालय को कम्प्यूटर हार्डवेयर उपकरण की स्थापना, ब्रॉड बैण्ड कनेक्शन (Min 512 KBPS) तथा वॉचनीय एण्टीवायरस सॉफ्टवेयर लोड कराना होगा। यद्यपि ई-टेण्डरिंग प्रणाली, Windows 8 युक्त कम्प्यूटर सिस्टम पर भी कार्य कर सकती है, किन्तु Windows 7 ऑपरेटिंग सिस्टम, इस प्रयोजन हेतु सर्वोत्तम है। इसके साथ कम्प्यूटर सिस्टम पर JAVA 7 UPDATE 71, 32 अथवा 64 BIT स्थापित किया जाना होगा। यह सॉफ्टवेयर यूपीएलसी की वेबसाइट [www.uplc.in](http://www.uplc.in) के Downloads Section में भी उपलब्ध है तथा उसे डाउनलोड किया जा सकता है।
- शासन के सम्बन्धित विभागों, उपकरणों इत्यादि के स्तर पर एक नोडल अधिकारी नामित किया जाना होगा एवं इसके लिए एक कार्यालय ज्ञाप सम्बन्धित विभाग/ कार्यालय द्वारा निर्गत किया जायेगा। सम्बन्धित विभाग/ उपकरण आदि के संगठनात्मक चार्ट की प्रति संलग्न करते हुए उक्त कार्यालय ज्ञाप की प्रति एन.आई.सी. लखनऊ तथा प्रबन्ध निदेशक, यूपीएलसी को पृष्ठांकित किया जाना होगा।
- सम्बन्धित नोडल अधिकारी द्वारा अपना Class-II (Signing and Encryption) श्रेणी का डिजिटल सिग्नेचर, बनवाया जाना होगा। यह तथ्य महत्वपूर्ण है कि टेण्डर्स के Encryption हेतु Class-II (Signing and Encryption) श्रेणी का डिजिटल सिग्नेचर आवश्यक है।
- संगठनात्मक चार्ट, कार्यालय ज्ञाप की प्रति तथा डिजिटल सिग्नेचर लेकर, उस पर यूपीएलसी से एक फॉरवर्डिंग लेटर सहित एन.आई.सी. योजना भवन, लखनऊ में अपने विभागीय डिजिटल सिग्नेचर के रजिस्ट्रेशन हेतु नोडल अधिकारी द्वारा स्वयं उपस्थित होना होगा।

- यदि सम्बन्धित विभाग/उपक्रम/संगठन इत्यादि के जनपद स्तर पर भी नोडल अधिकारी बनाये जाने की आवश्यकता हो तो, उक्त नोडल अधिकारी एन.आई.सी. योजना भवन के अधिकारियों से वार्ता कर इसके लिए भी सुनिश्चित कर लेंगे।
- सम्बन्धित विभाग/उपक्रम/संगठन इत्यादि में जिस स्तर पर क्य प्रक्रिया किया जाना अपेक्षित हो, उन स्तरों पर क्य समिति के कम से कम 2 तथा अधिक से अधिक 4 सदस्यों हेतु भी उपरोक्तानुसार Class-II (Signing and Encryption) श्रेणी का डिजिटल सिग्नेचर बनवाये जाने की आवश्यकता होगी।
- नोडल अधिकारी/क्य समिति के सदस्यों/वेन्डर्स के Class-II (Signing and Encryption) डिजिटल सिग्नेचर्स कन्ट्रोलर ऑफ सर्टिफाईंग अथॉरिटीज, भारत सरकार द्वारा अधिकृत निम्नलिखित किसी भी सर्टिफाईंग अथॉरिटीज अथवा उनके रजिस्टरिंग अथॉरिटीज में से किसी एक से बनवाये जा सकते हैं:-
  - एन.आई.सी—नई दिल्ली,
  - टीसीएस—मुम्बई,
  - सेफ—स्किप्ट—चेन्नई,
  - आई.डी.आर.बी.टी.,
  - (एन) कोड सॉल्यूशन्स, ई—मुद्रा,
  - सी—डैक, कैप्रीकॉर्न आईडेन्टिटी सर्विसेज प्रा.लि.,
  - एन.एस.डी.एल. टेक्नोलोजी,
  - जी.एन.एफ.सी. अथवा
  - यूपी इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लिमिटेड, लखनऊ
 शासकीय अधिकारियों के Class-II डिजिटल सिग्नेचर प्राप्त करने तथा फार्म भरने की विधि यूपी इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लिमिटेड की वेबसाइट [www.uplc.in](http://www.uplc.in) के Downloads पृष्ठ पर उपलब्ध है।
- सम्बन्धित विभागों इत्यादि के राज्य मुख्यालय के नोडल अधिकारी अथवा जनपद स्तर के नोडल अधिकारी द्वारा क्य समिति के सदस्यों को एन.आई.सी. के पोर्टल [etender.up.nic.in](http://etender.up.nic.in) पर रजिस्टर करना होगा। सम्बन्धित नोडल अधिकारी इसके लिए यूपीएलसी से सम्पर्क कर आवश्यक प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं।
- तत्पश्चात्, प्रकाशित किये जाने वाले टेंडर्स को चिह्नित कर उसके लिए ई—टेंडर प्रणाली लागू करने हेतु सम्बन्धित विभाग/कार्यालय द्वारा टेंडर की शब्दावली और विषय—वस्तु में आवश्यक परिवर्तन/परिवर्द्धन करना अपेक्षित होगा। इस प्रयोजन हेतु एन.आई.सी. के पोर्टल [etender.up.nic.in](http://etender.up.nic.in) के Homepage का अवलोकन कर लिया जाये। Homepage पर Active Tenders को Click करने पर ई—टेंडर पोर्टल पर सक्रिय समर्त टेंडर्स की सूची (एक पृष्ठ पर 10 टेंडर्स) प्रदर्शित हो जायेगी। वर्तमान में विभिन्न विभागों के लगभग 6000 से अधिक टेंडर्स प्रकाशित हैं। प्रकाशित ई—टेंडर्स का अवलोकन पोर्टल पर किया जा सकता है। उक्तानुसार, प्रकाशित टेंडर्स का अवलोकन कर विभाग/कार्यालय इत्यादि से सम्बन्धित टेंडर में आवश्यक संशोधन की कार्यवाही सुगमता से की जा सकेगी।
- टेंडर करने वाले विभागीय अधिकारियों, टेंडर समिति के सदस्यों, निविदादाताओं (Bidders), आपूर्तिकर्ताओं (Vendors), कॉन्ट्रैक्टर्स को ई—प्रोक्योरमेण्ट/ई—टैंडरिंग प्रणाली सम्बन्धी आवश्यक प्रशिक्षण हेतु शीघ्र ही मण्डल तथा जनपद स्तर पर

समितियों गठित कर प्रशिक्षण की कार्यवाही की जा रही है। ई-टेंडरिंग प्रणाली सम्बन्धी सभी जानकारी etender.up.nic.in पोर्टल पर "Information about DSCs", "Frequently Asked Questions", "Bidders Manual Kit", "Help for Contractors" तथा "Downloads" में दी गई हैं, जिनका अवलोकन कर लिया जाये। साथ ही विभागीय अधिकारियों को ई-टेंडरिंग प्रक्रिया हेतु तत्सम्बन्धित सॉफ्टवेयर, ई-टेंडर का विकारा, BOQ preparation टेंडर अपलोडिंग, टेंडर ऑपनिंग, Tender Evaluation इत्यादि के प्रयोग का भी विस्तृत विवरण पोर्टल पर दिया गया है।

- इसके अतिरिक्त ई-टेंडरिंग प्रक्रिया से सम्बन्धित उपरोक्त कार्यों की जानकारी हेतु एक प्रस्तुतिकरण यूपी इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लिमिटेड की वेबसाइट www.uplc.in के e-procurement पृष्ठ पर उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त youtube पर GePNIC से सम्बन्धित फिल्म/प्रस्तुतिकरण भी डाउनलोड कर देखा जा सकता है।
- सभी विभागों के नोडल अधिकारियों/क्य समिति के सदस्यों/निविदादाताओं हेतु प्रशिक्षण की व्यवस्था प्रदेश मुख्यालय, मण्डल एवं जनपद स्तर पर शीघ्र ही कराई जा रही है। इसके सम्बन्ध में पृथक से सम्बन्धित विभागों/अधिकारियों को सूचित किया जा रहा है।
- वृहद कार्य-क्षेत्र वाले विभागों में प्रशिक्षण की आवश्यकता वाले अधिकारियों की बड़ी संख्या के दृष्टिगत इन विभागों में 'मास्टर ट्रेनर्स' भी बनाये जायें, तथा उनके द्वारा अपने विभाग के अन्य अधिकारियों को प्रशिक्षित किया जाये।
- समरत विभागों के स्तर पर उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करा ली जाये तथा विभागों से सम्बन्धित वेण्डर्स/आपूर्तिकर्ताओं को शासन के निर्णय से अवगत करा दिया जाये तथा भविष्य में ई-टेंडरिंग में प्रतिभाग करने के लिए उन्हें डिजिटल सिंग्नेचर्स, पंजीयन इत्यादि औपचारिकतायें पूर्ण कराने हेतु निर्देशित कर दिया जाये।